पत्र संख्या-सी0/ए0(एस0)1-048/2007 3600 /जे0

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के सचिव, बिहार।

सेवा में,

आयुक्त,
मगध प्रमण्डल, गया।

पटना दिनांक 29-06-17

विषयः- गया जिला के लिए सरकारी वकील की नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके सचिव के पत्रांक-2324, दिनांक-11.11.2016 के प्रसंग में मुझे यह कहने का निदेश है कि राज्य सरकार ने **श्री मोहम्मद सफीक उद्धीनै अंसारी,** अधिवक्ता, **पंजीयन सं0-95/1980** गया को गया जिला के लिए उनके द्वारा पद ग्रहण की तिथि से तीन वर्षो की अवधि के लिये, जिसमें प्रथम वर्ष परीक्ष्मान रूप में होगा, सरकारी वकील नियुक्त करने की कृपा की है।

2. उनकी नियुक्ति का आदेश समाहर्त्ता द्वारा श्री **मोहम्मद सफीक उद्धीन अंसारी** को अग्रसारित करने के लिए संलग्न किया जाता है।

3. नियुक्ति के उक्त आदेश की एक प्रति आपके कार्यालय में अभिलेख हेतु भी संलग्न किया जा रहा है।

4. महालेखाकार, बिहार को अलग से सूचित किया जा रहा है।

विश्वासभाजन

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक 3600 **/जे0, पटना, दिनांक** 29-06-17

प्रतिलिपिः- श्री **मोहम्मद सफीक उद्धीन अंसारी**, अधिवक्ता, गया को गया जिला के लिए सरकारी वकील के पद पर नियुक्ति के आदेश की प्रति संलग्न सहित जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गया /समाहर्त्ता, गया तथा महालेखाकार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक 3600 **/जे0, पटना, दिनांक** 29-06-17

प्रतिलिपिः- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/माननीय विधि मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)
सरकार के सचिव, बिहार।

ज्ञापांक 3600 **/जे0, पटना, दिनांक** 29-06-17

प्रतिलिपिः- आई0टी0 मैनेजर, विधि विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)
सरकार के सचिव, बिहार।

E:\priyanka kumari\Jitendra kumar\Surendra Prasad Sharma Sir\Surendra SIR\C.A.doc

पत्र संख्या-सी0/ए0(एस0)01-048/2007.....3601...../जे0

बिहार सरकार

विधि विभाग

प्रेषक,

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सरकार के सचिव, बिहार।

सेवा में,

श्री मोहम्मद सफीक उद्धीन अंसारी,
अधिवक्ता,
व्यवहार न्यायालय, गया ।

पटना दिनांक.....29-6-17.....

महाशय,

मुझे कहने का निदेश है कि राज्य सरकार ने आपको गया जिला के लिए आपके द्वारा पदग्रहण की तिथि से तीन वर्षो के लिए, जिसमें प्रथम वर्ष परीक्ष्यमान रूप में होगा, सरकारी वकील नियुक्त करने की कृपा की है।

2. इसके लिए सिर्फ समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिधारण शुल्क एवं दैनिक शुल्क देय होगा।

3. सरकारी वकील के रूप में आपके निम्नलिखित कर्तव्य होंगे:-

(क) गया जिला से संबंधित मामलों में बिहार सरकार तथा भारत सरकार के विभागाध्यक्षों तथा अन्य पदाधिकारियों को कानूनी परामर्श देना।

(ख) गया जिला के उपर्युक्त न्यायालयों के समक्ष राज्य एवं संघ सरकार अथवा उनके संबंधित पदाधिकारियों का जिलान्तर्गत उपस्थित होने वाले सभी कानूनी विषयों में प्रतिनिधत्व करना है।

(ग) उक्त अवधि में आपको गया जिला के दीवानी न्यायालयों में सभी दीवानी मुकदमों में सरकार की ओर से उपस्थित होने तथा प्रतिनिधित्व करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है। साथ ही आपको गया जिलान्तर्गत सरकारी वकील के अन्य प्रासंगिक कर्त्तव्यों का भी अनुपालन करना है।

(ध) किसी भी न्यायालय में केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के विरूद्ध न्यायालय में उपस्थित नहीं होगें।

विश्वासभाजन
29/6/17
(सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा)
सरकार के सचिव, बिहार।
29/6/17

E:\priyanka kumari\Jitendra kumar\Surendra Prasad Sharma Sir\Surendra SIR\C.A.doc